NEW JERSEY VOTES

SAFE. SIMPLE. SECURE.

GENERAL ELECTION 2021

व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग के बारे में 5 ज़रूरी बातें

इस वर्ष की शुरुआत में, न्यूजर्सी में व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया गया था। व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग के बारे में पूछे जाने वाले पाँच आम सवालों के जवाब इस प्रकार से हैं:

1. व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग क्या होती है?

यह नया विकल्प सभी पंजीकृत वोटरों को **चुनाव वाले दिन से पहले नौ दिनों के दौरान वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से व्यक्तिगत रूप से** अपना वोट देने में मदद करती है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वोट दे सकते हैं।

2. व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

- चाहे आप काउंटी में कहीं भी रहते हों, आप अपनी काउंटी के लिए निर्धारित किसी भी व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग स्थान पर अपना वोट दे सकते हैं।
- **Vote.NJ.Gov** पर अपनी काउंटी के स्थान का पता लगाएँ।

3. व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग कब की जा सकती है?

- व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग स्थान **शनिवार, 23 अक्तूबर से रविवार, 31 अक्तूबर** तक खुले रहेंगे।
- समय: **सोमवार – शनिवार, सुबह 10:00 – शाम 8:00 और रविवार सुबह 10:00 – शाम 6:00 बजे** किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है।

4. अगर मैं पहले डाक से वोट देता/देती था/थी, लेकिन अब मैं शुरुआती, व्यक्तिगत वोट करना चाहूँ, तो क्या होगा?

- **Vote.NJ.Gov**पर जाएँ और “क्या मेरा पंजीकरण हुआ है?” में पता लगाएँ कि क्या आप सक्रिय डाक-द्वारा-वोट वोटर हैं।
- अगर आप 2021 आम चुनाव में डाक द्वारा वोट देने के लिए पंजीकृत हैं, तो आपको शुरुआती वोटिंग स्थान पर मशीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए इस चयन को हटाना पड़ेगा।
- ऑप्ट आउट करने के लिए, 31 अगस्त तक अपने काउंटी क्लर्क से संपर्क करें।

5. क्या वोटिंग के लिए अन्य विकल्प अभी भी चुने जा सकते हैं?

हाँ। बजाय इसके आप ऐसा कर सकते हैं:

डाक-द्वारा-वोट मतपत्र के लिए आवेदन करें और निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से इसे वापस लौटाएँ...

1... *डाक:* इसके ऊपर 2 नवंबर शाम 8:00 बजे तक या उससे पहले डाक टिकट लग जानी चाहिए और 8 नवंबर तक या उससे पहले आपकी काउंटी के चुनाव बोर्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए।

2... *सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स:* 2 नवंबर शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के किसी एक सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में उसे डाल दें। ड्रॉप बॉक्स स्थान का पता Vote.NJ.Gov पर लगाया जा सकता है।

3... *चुनाव कार्यालय बोर्ड:* 2 नवंबर शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय बोर्ड में उसे व्यक्तिगत रूप से जमा करें। काउंटी चुनाव अधिकारी की संपर्क जानकारी का पता पर लगाया जा सकता है।

- या, **2 नवंबर को चुनाव वाले दिन** सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक अपने पोलिंग स्टेशन में **व्यक्तिगत रूप से वोट करें**। विकलांग वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। पोलिंग स्थान पेज पर सूचीबद्ध अपने पोलिंग स्टेशन के लिए **Vote.NJ.Gov**पर जाएं।

ध्यान दें: इस चुनाव में डाक-द्वारा-वोट मतपत्र अपने पोलिंग स्टेशन को वापस नहीं लौटाए जा सकते हैं।

राज्य सचिव Tahesha Way

1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)
Vote.NJ.Gov

@NJVotes   @NJ_Votes   NJ Department of State   @NJ_Votes